


प्रशासन वाली को रंग अभियान के अन्तर्गत कैंप नाम पंजाब (21) 111/1
में तहसीलदार मण्डावर/बैजूपाड़ा द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान भू
राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 एवं राजस्थान भू राजस्व (भू.अ.मि.)
नियम 1957 के नियम 68, 69 व 60 एवं 66, 66 के अन्तर्गत, इस आशय का
प्रस्तुत किया है कि आशजी खरारा नंबर 11, 2, 2

स्थित
गाम 111/111 पटवार मण्डल 111/111 तहसील बैजूपाड़ा/मण्डावर
जिला दौरा जिरा पर गौके पर सार्वजनिक सस्ता बना हुआ है एवं सस्ते के
उपयोग में आ रहा है। किन्तु राजस्व अभिलेख में सस्ता अभिलिखित नहीं है।
उक्त भूमि पर किसी न्यायालय का स्थगन नहीं है। तहसीलदार
मण्डावर/बैजूपाड़ा द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ सार्वजनिक सस्ता के रूप में
उपयोग में आ रही भूमि को नक्शा ट्रेस में लाल रसाही से दर्शाया गया है।
प्रस्तावित सस्ता का अंकन राजस्व अभिलेख में करने हेतु निवेदन किया है।
उक्त प्रा.पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर न्यायालय द्वारा उक्त प्रस्तावित भूमि
के निजी खातेदारान को अपना पक्ष दिनांक 1.5.12 को प्रस्तुत करने
हेतु नोटिस जारी किये गये। परन्तु उक्त तिथि को किसी भी निजी खातेदारान
द्वारा अपना कोई पक्ष/जवाब/सहमति इस न्यायालय में प्रस्तुत नहीं की
गई।

पत्रावली का अवलोकन किया। चूंकि उक्त सस्ते के लिए प्रस्तावित
भूमि निजी खातेदारान की है एवं पक्षकारान/ निजी खातेदारान द्वारा प्रस्तावित
सस्ता का अंकन राजस्व अभिलेख में करने हेतु अपना कोई पक्ष इस न्यायालय
में प्रस्तुत नहीं किया है। बिना निजी खातेदार की सहमति के उसकी खातेदारी
भूमि से सस्ता दिया जाना न्यायोचित नहीं है। अतः तहसीलदार 111/111/111
द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की
धारा 131 को खातेदारान के द्वारा प्रस्तावित सस्ता का अंकन राजस्व अभिलेख
में करने हेतु सहमति नहीं होने के कारण अस्वीकार किया जाकर खारीज
किया जाता है। पत्रावली फौसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर
हो।


(अमित कुमार वर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर(दौसा)